राजस्थान विधान सभा

द्वितीय सत्र

कार्य-सूची

गुरूवार, दिनांक 31 जुलाई, 2014

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(I) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री झाबर सिंह खर्रा, सदस्य, विधान सभा, जिला सीकर के किसानों से खरीदे गये चने के बकाया भुगतान में विलम्ब होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(II) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत डॉ0 अलका सिंह, सदस्य, विधान सभा, जयपुर स्थित लालकोठी क्षेत्र में बिना मानदंडों के संचालित कोचिंग संस्थानों के संबंध में नगरीय विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

3. विधायी कार्य

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(I) औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014

(I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्या-17)

"औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को, उसके राजस्थान राज्य में लागू करने के निमित्त और संशोधित करने के लिए विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

जारी..2

(II) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014
(2014 का विधेयक संख्या-15)

(I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

"ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 को इसके राजस्थान राज्य में लागू होने के निमित्त संशोधन विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(III) कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014

कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014
(2014 का विधेयक संख्या-16)

(I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

"कारखाना अधिनियम, 1948 को उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के निमित्त और संशोधित करने के लिए विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(IV) शिक्षु (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014

शिक्षु (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014
(2014 का विधेयक संख्या-18)

(I) श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

"शिक्षु अधिनियम, 1961 को उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के निमित्त और संशोधित करने के लिए विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

तौफीक हुसैन हाशमी
उप सचिव (सामान्य)

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 30 जुलाई, 2014